[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 40/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 अगस्त, 2019

सा.का.नि.. .... (अ). - आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 26/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में "उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है" शब्दों से आरंभ होने वाले और "समय-सीमा का विस्तार अगस्त, 2019 के 31वें दिन तक किया जाता है" शब्दों, अंकों और अक्षरों से समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उक्त अधिनिमय की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिनके कारबार का मुख्य स्थान नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित राज्य में है, जुलाई, 2019 मास के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी:-

सारणी

क्रं.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
(1)	(2)	(3)

1.	बिहार	अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णियां, पश्चिम चंपारण ।
2	गुजरात	वड़ोदरा ।
3.	कर्नाटक	बागलकोट, बल्लारी, बेलगाम, चामराजनगर, चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, गदग, हसन, हावेरी, कलबुर्गी, कोडागू, कोप्पल, मांड्या, मैसूरु, रायचूर, शिवमोगा, उडुपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, यादगिर ।
4.	केरल	इडुक्की, मल्लापुरम, वायनाड, कोझिकोड ।
5.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, पालघर, नासिक, अहमदनगर ।
6.	ओडिशा	बलांगीर, सोनपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगडा, नबरंगपुर ।
7.	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी, चमोली :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिनके कारबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जुलाई, 2019 मास के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी । ”।

[फा.सं.20/06/07/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।